(वाद संख्या–7736/15)

18.12.2020

परिवादी, गोपाल झा, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी गोपाल झा की पत्नी श्रीमती मन्टु कुमारी, बर्खास्त सहायक शिक्षक, शशिकला मध्य विद्यालय, चैनपुर, अंचल कहरा, सहरसा को 2007 से वेतन से वंचित किये जाने से संबंधित है।

परिवाद–पत्र, शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन (पृ0–19–17/प0) तथा स्वयं उपस्थित परिवादी के अनुसार प्रसंगाधीन मामले को लेकर परिवादी की पत्नी मन्टु कुमारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 5177/15 दाखिल किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा Dismiss कर दिया गया है। एकल पीठ के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध परिवादी की पत्नी मन्टु कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA संख्या–2238/2015 दाखिल किया गया जिसे निम्नलिखित निर्देश के साथ माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी की पत्नी के उक्त LPA को वापस लेने की अनुमति दी गयी।

"In view of the above, learned counsel for the appellant prays for permission to withdraw this appeal for the present with liberty to pursue the departmental remedy due to the subsequent development thereafter, in case final decision taken by the department is adverse to the appellant, she prays for liberty to approach this Court again."

परिवादी का कथन है कि उसकी पत्नी को माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12175/2011 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन में परिवादी की पत्नी को सुनकर उसे सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अब जबकि पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त LPA में परिवादी को विभाग द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित करने पर न्यायालय में याचिका दाखिल करने का वांछित अनुतोष प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है तो, ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

निबंधक